<u>विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 62वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त</u>

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 62वीं बैठक(अक्टूबर-दिसम्बर, 2024) दिनांक 08 नवम्बर, 2024 को अपराह्न 03:00 बजे श्री विकास कुंडल, उप निदेशक(प्रभारी) महोदय की अध्यक्षता में सम्मलेन कक्ष में आयोजित की गई । इस बैठक में प्रतिनिधि के रूप में डॉ. पूरनचंद टंडन, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया गया । किन्तु कुछ अपरिहार्यताओं की वजह से उनका आना स्थगित हो गया ।

बैठक का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम सदस्य सचिव डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक(रा.भा.) ने समिति अध्यक्ष श्री विकास कुंडल, उप निदेशक(प्रभारी) एवं अन्य सभी सदस्य अधिकारियों का स्वागत किया । तदुपरांत अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार बैठक की कार्रवाई आरंभ करते हुए सदस्य सचिव की तरफ से कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी तथा दिनांक 13 अगस्त, 2024 को आयोजित 61वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर भी चर्चा की जाएगी । सदस्य सचिव ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि हम सभी को राजभाषा से संबंधित सभी नियमों एवं निर्देशों की अनिवार्य रूप से अनुपालना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति हेतु सकारात्मक प्रयास करने हैं तथा कार्यालय में राजभाषा की उत्तरोत्तर संवृद्धि एवं प्रगति को बनाए रखना है ।

मद सं. 1	पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि पिछली बैठक का आयोजन 13 अगस्त, 2024 को किया गया था । उक्त बैठक का मसौदा कार्यवृत्त दिनांक 30.08.2024 को मुख्यालय सहित विराकास के सभी सदस्यों एवं अधीनस्थ शाखा कार्यालयों को अग्रिम कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया तथा सदस्यों से आपत्ति और सुझाव (यदि कोई हो) मांगे गए थे । चूँकि किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

मद सं. 2	पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा करते हुए बताया कि पिछली बैठक का कार्यवृत्त मुख्यालय सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित कर दिया गया था । उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर निम्नानुसार कार्रवाई की गईः-

i. कार्यालय की विभागीय हिंदी पत्रिका "श्रम-ज्योति" के नाम में संशोधन के संबंध में कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरांत पत्रिका का नाम संशोधित करके "द्रोण ज्योति" किया गया तथा उक्त संशोधित नाम को मुख्यालय द्वारा भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

ii. कार्यालय प्रयोग हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली से प्रशासनिक शब्दावली की प्रतियाँ खरीद करने के संबंध में सदस्य सचिव ने बताया कि प्रशासनिक शब्दावली(अंग्रेजी-हिंदी) की कार्मिकों की संख्या के अनुसार प्रतियाँ खरीदी गई तथा सभी शाखाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक एवं सभी शाखाओं में एक-एक प्रशासनिक शब्दावली वितरित की गई। साथ ही शाखा कार्यालयों में भी वितरित की गई।

iii. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं जांच-बिंदु के बोर्ड प्रदर्शित करने के संबंध में सदस्य सचिव ने बताया कि सामान्य शाखा द्वारा त्वरित कारर्वाई करते हुए धारा 3(3) एवं जांच-बिंदु के रंगीन बोर्ड बनवाकर कार्यालय प्रमुख कक्ष सहित सभी अधिकारियों के कक्ष एवं सभी शाखाओं एवं कार्यक्रम आयोजन स्थल प्रथम तल पर प्रदर्शित कराया गया।

iv. प्रतियोगिता आयोजन में प्रयोग हेतु चेयर कम टेबल के प्रबंध विषय पर विराकास अध्यक्ष ने सामान्य शाखा को इस संबंध में कार्रवाई करने के निदेश दिए ।

v. कार्यालय शाखाओं एवं शाखा कार्यालयों के राजभाषायी निरीक्षण के संबंध में सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा निरीक्षण की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

vi. अंत: अनुभागीय शील्ड योजना के संबंध में सदस्य सचिव ने बताया कि अभी केवल 2-3 शाखाओं से ही प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई है । इस पर विराकास अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित शाखाधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिशीघ्र राजभाषा शाखा में प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करें ।

मद सं. 3	हिन्दी प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा

सदस्य सचिव ने हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए बताया कि यह सराहनीय है कि राजभाषा नियम 5 की अनुपालना सभी शाखाओं द्वारा पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जा रही है । गत तिमाही में हिंदी में कुल 1815 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 1549 पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए तथा 266 पत्रों का जवाब देना अपेक्षित नहीं था ।

30 सितम्बर-2024 को समाप्त तिमाही हेतु मूल हिंदी पत्राचार संबंधी आंकड़ें

	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी रूप में	अंग्रेजी में	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
क क्षेत्र	1093	1093	0	100
ख क्षेत्र	0	0	0	0
ग क्षेत्र	0	0	0	0

30 सितम्बर-2024 को समाप्त तिमाही हेतु टिप्पण संबंधी आंकड़ें

कुल संख्या	हिंदी में	अंग्रेजी में	प्रतिशत
2335	2335	0	100

पत्राचार पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह सराहनीय है कि कार्यालय द्वारा मूल पत्राचार शत-प्रतिशत हिंदी में किया जा रहा है तथा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है। धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं । साथ ही उपस्थित अधिकारियों से आग्रह किया कि इसे यथावत् बनाए रखें ।

साथ ही सदस्य सचिव ने बताया कि हिंदी टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा चुका है लेकिन फिर भी हमें शत-प्रतिशत टिप्पण कार्य हिंदी में करना चाहिए ।

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि 17 सितम्बर एवं 26 सितम्बर, 2024 को एकपूर्णकालिक कार्यदिवस हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 33 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

इसके अतिरिक्त सदस्य सचिव ने निम्नलिखित मदों पर अध्यक्ष महोदय सहित उपस्थित सभी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया:-

1. पुस्तक खरीद हेतु पुस्तकों की सूची सामान्य शाखा को प्रेषित की गई ।

2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में आयोजित चित्र-वर्णन प्रतियोगिता में श्री अमित कुमार, प्र.श्रे.लि. ने तृतीय स्थान प्राप्त किया ।

3. मुख्यालय द्वारा दिनांक 03.12.2024 को इस कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है । सदस्य सचिव ने उक्त निरीक्षण हेतु सभी शाखाओं से आवश्यक कार्रवाई यथा नामपट्ट, मुहर, रजिस्टर आदि द्विभाषी करने के लिए आग्रह किया ।

4. हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु 18 कर्मचारियों को आगामी सत्र हेतु नामित किया गया है । 14 कर्मचारियों का प्रशिक्षण जुलाई-2024 में पूर्ण हो चुका है ।

5. हिंदी टंकक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल 27 टंककों को प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया गया ।

6. कार्यालय की विभागीय हिंदी पत्रिका "द्रोण ज्योति" के 10वें अंक के प्रकाशन हेतु लेख एवं संदेश के लिए कार्य किया जा रहा है ।

मद सं. 4	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी 14 प्रकार के

दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया कि इन दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषिक रुप में जारी किया जाना चाहिए तथा ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि इसे द्विभाषिक रुप में निष्पादित किया गया है । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत गत तिमाही में कुल 75 दस्तावेज जारी किए गए तथा सभी द्विभाषी रूप में जारी किए गए । इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने प्रशासन शाखाधिकारी सहित अन्य शाखाधिकारियों की सराहना की तथा कहा कि धारा 3(3) के सभी दस्तावेज मूल रूप से द्विभाषी रूप में ही जारी करें ताकि कार्यालय राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति का साक्षी बना रहें ।

मद सं. 5	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चर्चा

वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा विभाग एवं मुख्यालय के निर्देशानुसार दिनांक 04.04.2024 को वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 जारी किया गया । सदस्य सचिव ने कहा कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए राजभाषा संबंधी जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हमें उनकी प्राप्ति हेतु हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए । इस पर अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 के निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्य करें ।

मद सं. 6	निर्धारित जाँच बिंदुओं पर चर्चा

सदस्य सचिव ने बताया कि मुख्यालय द्वारा राजभाषा के प्रयोग हेतु विभिन्न मदों पर जाँच बिंदु तैयार किए गए है । दिनांक 09.04.2024 को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जाँच बिंदुओं को जारी किया गया । इस पर अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित पत्रों/दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय निर्धारित जाँच बिंदुओं को ध्यान में रखें ।

मद सं. 7	राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाए । अध्यक्ष महोदय को नियम 5 की स्थिति के विषय में अवगत कराया गया कि कार्यालय में अनिवार्य रूप से इसकी अनुपालना की जा रही है । गत तिमाही में 1815 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए और अपेक्षित 1549 पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया गया । साथ ही सदस्य सचिव ने बताया कि अंग्रेजी में प्राप्त जिन पत्रों पर जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर हिंदी में है तो उनका उत्तर भी हिंदी में देना सुनिश्चित करें ।

मद सं. 7	शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति

उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी 04 शाखा कार्यालयों द्वारा हिंदी कार्यान्वयन के विषय पर बताया गया कि उक्त कार्यालयों में राजभाषा की प्रस्थिति संतोषजनक है तथा हिंदी में कार्य किया जा रहा है ।

मद सं. 8	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित बिंदुओं पर भी चर्चा की गई:-

1. अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर 10 जनवरी, 2025 को काव्य संगोष्ठी का आयोजन करना- **-रा.भा. शाखा**
2. हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र फरवरी-जुलाई, 2025 के लिए नामित 18 कर्मचारियों के हिंदी टंकण कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन करना **- रा.भा. शाखा**
3. नामपट्टिका, मुहर, रजिस्टर आदि द्विभाषी करना **- सामान्य/संबंधित शाखा**
4. हिंदी पत्रिका "द्रोण ज्योति" अंक-10 हेतु संदेश एवं लेख प्राप्त करना एवं पत्रिका का विमोचन एसिक दिवस पर करना **- रा.भा. शाखा**
5. अंत: अनुभागीय शील्ड योजना के अंतर्गत कार्रवाई करना **- रा.भा. शाखा**
6. 25 चेयर कम टेबल की खरीद **- सामान्य शाखा**

अध्यक्ष महोदय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस बैठक में राजभाषा प्रगति, राजभाषा कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की तथा उपस्थित सभी अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें राजभाषा नियम एवं अधिनियम के अनुसार गंभीरता से कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग एवं कार्यान्वयन में वृद्धि करनी है ताकि हम निरंतर उपलब्धियों की ओर अग्रसर होते रहें ।

अंत में सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया ।

बैठक में शामिल अधिकारियों की सूची अनुलग्नक "क" संलग्न है ।

Signed by Sweety Yadav
Date: 19-11-2024 12:27:22
(सदस्य सचिव)

अनुलग्नक- 'क'

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम की 62वीं विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विराकास पद	हिंदी ज्ञान की स्थिति
1.	श्री विकास कुंडल, निदेशक(प्रभारी)	अध्यक्ष	कार्यसाधक ज्ञान
2.	श्री सचिन सिंह, उप निदेशक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
3.	श्री सन्नी कुशवाहा, उप निदेशक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
4.	राजेंद्र प्रसाद, सहायक निदेशक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
5.	श्री रविन्द्र कुमार, सहायक निदेशक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
6.	श्रीमती पूजा, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
7.	सुश्री पूजा जोशी, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
8.	श्रीमती सीमा कपूर, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
9.	श्री आशीष साहू, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
10.	श्री अमरेंद्र पाण्डेय, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
11.	मनोज सचदेवा, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
12.	सुरेन्द्र सिंह, शाखा प्रबंधक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
13.	श्री पवन कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
14.	श्री बिरजू सिंह, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त
15.	डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक(रा.भा.)	सदस्य सचिव	प्रवीणता प्राप्त

******